पत्रांक 2459 / धारा–57 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0क0 / 2009–10 / देहरादून

कार्यालयआयुक्त कर,उत्तराखण्ड
(धारा–57 अनुभाग)
दिनॉकः देहरादूनः 11 सितम्बर 2009,

प्रार्थना पत्र सं0 :– 1221 दिनांक 23–5–09
सर्वश्री भारत मेडिकल स्टोर,
तिलक रोड ऋषिकेश।
निर्णय का दिनांक :– 11सितम्बर–2009
प्रार्थी की ओर से – कोई उपस्थित नही हुआ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

सर्वश्री भारत मेडिकल स्टोर तिलक रोड, ऋषिकेश द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत दिनांक 23–5–09 को एक प्रार्थना पत्र देते हुये धारा 7(1) के अन्तर्गत समाधान स्कीम अपनाने वाली इकाई को M.R.P. मूल्य पर खरीदे गये माल की बिक्री पर समाधान राशि देनी होगी अथवा नही के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया।

2– विभागीय मत ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराते हुये अवगत कराया गया है कि व्यापारी के कर निर्धारण वर्ष 2005–06 में दिनांक 1–10–05 से 20–1–06 तक की अवधि के लिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समाधान आदेश तथा दिनांक 21–1–06 से 31–3–06 की अवधि के लिये वैट अधिनियम की धारा 25(6) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है। व्यापारी द्वारा यह प्रश्न उक्त आदेशों के सम्बन्ध में वैट अधिनियम की धारा–30 के अन्तर्गत उन्हें प्रेषित किये गये, नोटिस के पश्चात उठाया गया है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि व्यापारी द्वारा यदि समाधान योजना का विकल्प अपनाया गया है तो वह बीच की अवधि में इसमें परिवर्तन नही कर सकता है और उसे अपने सम्पूर्ण विक्रय आवर्त पर 1 प्रतिशत की दर से समाधान राशि देनी होगी ।

3– सुनवाई की निर्धारित तिथियों में व्यापारी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ ओर न ही वाद के सम्बन्ध में कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया।

4– मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं विभागीय मत का अवलोकन किया गया। वैट अधिनियम की धारा 7(1) के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा किसी वर्ष के लिये समाधान योजना का विकल्प अपनाने के बाद उसके द्वारा उस वर्ष में अनुसूची–2 ग, अनुसूची–3, तथा अनुसूची–1 में उन वस्तुओं जिन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क उदग्रहणीय है के टर्नओवर को छोडकर अन्य समस्त टर्नओवर की बिक्री पर 1 प्रतिशत की दर से कर के बदले समाधान राशि का भुगतान किया जायेगा। इस धारा के तहत M.R.P. पर खरीदे गये माल को समाधान योग्य टर्नओवर से अलग नही रखा गया है। अतः वर्ष विशेष में व्यापारी द्वारा M.R.P. पर खरीदे गये माल की बिक्री पर भी समाधान शुल्क का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा ।

5– आवेदन कर्ता के पूछे गये प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है। आदेश की प्रति आवेदनकर्ता एवं सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को भेजी जाये।

भवदीय,

/

(वी0के0सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय,देहरादून।

पृ0प0सं0 व दिनॉकः:उक्तः:

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :– ...2